

<mark>प्रेस विज्ञप्ति</mark> दिनांकः- 02.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी

राष्ट्रिपता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयन्ती

आज दिनांक 02.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152 वीं जयन्ती व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 118 वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उन्हें सलामी दी गयी, इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखण्डता, सुरक्षा व स्वच्छता हेतु शपथ दिलायी गयी व सभी से विशेष साफ-सफाई के रखने की अपील की गयी एवं राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन चरित्र तथा उनके द्वारा बताये गये सत्य व अहिंसा के उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेरित किया गया।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम द्वारा राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री की जयन्ती के अवसर पर पुलिस कार्यालय महोबा में सभी अधिकारी/कर्मचारियों के साथ दोनो महापुरुषों को सलामी दी गयी व सभी को अहिंसा व राष्ट्र-प्रेम के प्रति शपथ दिलायी गयी तथा उनके विचारों का अनुकरण करने व उनके आदर्शों पर चलने के बारे में बताया गया।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना कोतवाली महोबा, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेशचन्द्र द्वारा थाना चरखारी व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री तेजबहादुर सिंह द्वारा थाना कुलपहाड में तथा इसी प्रकार जनपद के सभी थानों में भी बडे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण करते हुये सलामी दी गयी एवं उनके आदर्शों को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।





















<mark>प्रेस विज्ञप्ति</mark> दिनांकः- 02.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



आज दिनांक 02/10/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखविर खास की सूचना पर वारन्टी अभियुक्त 1.देवेन्द्र कुशवाहा पुत्र

विशाल कुशवाहा उम्र 27 वर्ष निवासी गुगौरा चौकी हालनिवास ग्राम डहर्रा थाना कोतवाली जिला महोबा को सम्बन्धित वारण्ट मु0नं0 – 02/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट अपराध सं0 – 591/17 माननीय न्यायालय एएसजे(एफटीसी-2016)एसपी. जज जीएसटी/एनडीपीएस एक्ट महोबा को ग्राम डहर्रा थाना कोतवाली जिला महोबा से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल UP 95 K 9049 अपाचे सफेद रंग कुर्क शुदा कुर्की आदेश न्यायालय जिलाधिकारी महोबा दिनांकित 29.10.2020 में उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) सीआरपीसी के अन्तर्गत कब्जे में लेकर वारन्टी अभियुक्त के विरुध्द थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. देवेन्द्र कुशवाहा पुत्र विशाल कुशवाहा उम्र 27 वर्ष निवासी गुगौरा चौकी हालनिवास ग्राम डहर्रा थाना कोतवाली जिला महोबा

बरामदगी-

एक अदद मोटर साइकिल UP 95 K 9049 अपाचे सफेद रंग कुर्क शुदा कुर्की आदेश न्यायालय जिलाधिकारी महोबा दिनांकित 29.10.2020 में उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) सीआरपीसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय
- 2. कां0 रामेन्द्र सिंह







<mark>प्रेस विज्ञप्ति</mark> दिनांकः- 02.10.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-

अपने थाना/सर्किल क्षेत्र में पैदल गस्त कर की गई संदिग्ध

व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग



आज दिनाँक 02.10.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा महोबा शहर में कोतवाली पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा व्यापारी वर्ग से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा अपने सर्किल क्षेत्र में एवं समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा

सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 216 ई-चालान किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर 16 व्यक्तियों से 3100 रू0 वसूला गया ।









<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> दिनांक:- 02.10.2021



मीडिया सेल, महोबा



